

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)

पांच बिल्डींग, जेल रोड दुर्ग

कार्यालय: फोन एवं फ़ैक्स न0 0788-2327531 ई-मेल: dfo-durg.cg@gov.in

क्रमांक/भण्डार/2018/

दुर्ग, दिनांक/

//संक्षिप्त निविदा सूचना//

दुर्ग वनमंडल, दुर्ग के अन्तर्गत विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों के उपयोग हेतु **वर्मी कम्पोस्ट, गोबर खाद, रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं ग्रोथ हार्मोन** सीधे स्थल पर प्रदाय करने हेतु वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल, दुर्ग के कार्यालय में निविदा मुहरबंद लिफाफा में पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/सीधे वनमंडल कार्यालय दुर्ग में आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, सामग्री की आवश्यकता एवं शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में कार्यालयीन दिवसों में रूपये 200/- (रूपये दो सौ मात्र) के डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक जमाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र कार्यालय के वेबसाईट www.durgforest.gov.in से भी Download किया जा सकता है। ऑनलाईन निविदा प्रपत्र के साथ 200/- रूपये का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि दिनांक 24.04.2018 समय दोपहर 03 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 25.04.2018 समय दोपहर 02 बजे तक

तकनीकी निविदा खोलने की तिथि दिनांक 25.04.2018 समय दोपहर 04 बजे

(असफल होने की स्थिति में या आवश्यकता पड़ने पर)

द्वितीय निविदा तिथि :- दिनांक 01.05.2018

तृतीय निविदा तिथि :- दिनांक 08.05.2018

वनमंडलाधिकारी
दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)

पांच बिल्डींग, जेल रोड दुर्ग

कार्यालय: फोन एवं फ़ैक्स न0 0788-2327531 ई-मेल: dfo-durg.cg@gov.in

क्रमांक/भण्डार/2018/

दुर्ग, दिनांक/

//संशोधित निविदा सूचना//

दुर्ग वनमंडल, दुर्ग के अन्तर्गत विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों के उपयोग हेतु सामग्री प्रदाय के लिए निविदा आमंत्रित किया गया था। जो विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 07.04.2018 को प्रकाशित हुआ है। पूर्व में प्रकाशित निविदा के वर्मी कम्पोस्ट, गोबर खाद, रासायनिक खाद, कीटनाशक एवं ग्रोथ हार्मोन के स्थान पर सिर्फ गोबर खाद ही पढ़ा जावे। शेष यथावत रहेगा।

वनमंडलाधिकारी
दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)



दुर्ग वनमंडल दुर्ग के अंतर्गत विभिन्न कार्य स्थल/प्रदाय स्थल तक प्रदाय किये जाने हेतु अनुमानित गोबर खाद प्रदाय के लिए दर अनुबंध के निविदा दस्तावेज

मैं/हम..... आत्मज.....
मकान क्रमांक..... मोहल्ला.....तहसील..... जिला

वृक्षारोपण सामग्रियों को प्रदाय करने हेतु आमंत्रित मुहरबंद निविदा की शर्तों एवं निविदाकार करारनामा की शर्तों के अनुरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्नलिखित निविदा दरें प्रस्तुत कर रहे हैं :-

क्र	सामग्री का नाम	स्पेशिफिकेशन	अनुमानित मात्रा	निविदा की प्रस्तावित दर प्रति घनमी.	अमानत राशि रूपये	संलग्न ड्राफ्ट क्र./दि. बैंक का नाम
1.	गोबर खाद	-	2000 घनमी.		25000/-	

मैं/हम निम्नलिखित विभागों में पंजीकृत हैं तथा स्वयं द्वारा सत्यापित पंजीयन पत्र की छायाप्रति संलग्न कर रहे हैं :-

- (1) आयकर पेन क्रमांक -
- (2) वाणिज्य कर/जीएसटी पंजीयन क्रमांक -
- (3) अन्य कोई विवरण -

मेरे द्वारा निविदा शर्तें पूर्णतः पढ़ी एवं समझी गई है। मैं/हम निविदा शर्तों को मानने बाध्य है तथा निविदाकार का करारनामा हस्ताक्षर सहित संलग्न है।

स्थान :-

निविदाकार के हस्ताक्षर दिनांक सहित

दिनांक :-

निविदाकार का करारनामा

(गोबर खाद प्रदाय करने हेतु निविदा)

यह करारनामा आज दिनांकको प्रथम पक्ष वनमंडलाधिकारी, दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष निविदाकार श्री/मेसर्स..... आत्मज
..... मकान क्र..... मोहल्ला.....तहसील.....
जिलाके मध्य निष्पादित किया जाता है।

यह कि वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग में गोबर खाद प्रदाय करने की छ.ग. शासन की ओर से शर्तों एवं नियमानुसार निविदाकार को ठेका देने में इच्छुक है।

यह कि दुर्ग वनमंडल चाहता है कि निविदाकार निविदा देने के साथ निविदाकार करारनामा पहले निष्पादित करें, ताकि वह निविदा की शर्तों को पूर्णतः मानने को बाध्य रहेगा।

वर्तमान में दोनो पक्ष साक्ष्यों के समक्ष आपस में समझौता करते है कि :-

1. निविदाकार घोषित करता है कि उसके द्वारा निविदा की शर्तों एवं करारनामा की शर्तों को ठीक से पढ़ा एवं पूर्णतः समझा गया है।
2. यह करारनामा निविदा खुलने की तिथि से दिनांक 31.12.18 तक वैध रहेगा। यदि सफल निविदाकार इस निर्धारित समयावधि के पूर्व निविदा के शर्तों का उल्लंघन करता है तो वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल दुर्ग द्वारा निविदा के साथ संलग्न सत्यंकार की राशि अधिहरित की जावेगी एवं निविदाकार का नाम काली सूची में अंकित किया जा सकता है।
3. यह करारनामा हमेशा निविदा की शर्तों एवं करारनामा के अनुरूप रहेगा तथा यह माना जावेगा कि निविदा की शर्तों एवं करारनामा की आंशिक या पूर्ण व्याख्या इसमें समाहित है।

साक्षी के हस्ताक्षर (नाम एवं पता सहित)

1.....

2.....

प्रथम पक्ष

वनमंडलाधिकारी,
दुर्ग वनमंडल, दुर्ग

साक्षी के हस्ताक्षर (नाम एवं पता सहित)

1.....

2.....

द्वितीय पक्ष

नाम

आत्मज

ग्रामपोस्ट.....

जिला

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, दुर्ग

(गोबर खाद प्रदाय हेतु निविदा की शर्तें)

1. निविदाकार का स्वरूप व्यक्तिगत, प्रोप्राईटरशिप, पार्टनरशिप या प्रा.लि. फर्म का होगा तथा इसके प्रमाण हेतु पार्टनरशिप डीड/मेमोरेण्डम/रजिस्ट्रार आफ फर्मस का पंजीयन की नोटरी/स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदाकार को आयकर एवं वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा इसके प्रमाण हेतु संबंधित विभाग की जीवित पंजीयन पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा प्रारूप अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक 24.04.2018 को दोपहर 03.00 बजे तक कार्यालयीन समय पर 200/-रु. का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रारूप के साथ निविदाकार का करारनामा हस्ताक्षर सहित अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन डाउनलोड किये गये निविदा प्रारूप के साथ निविदा प्रारूप की राशि 200/-रूपये का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा प्रारूप के साथ सामग्री के समक्ष दर्शित अमानत की राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. वनमंडलाधिकारी, दुर्ग के नाम से दुर्ग स्थित बैंक में देय हो प्रस्तुत करना होगा। बिना अमानत राशि के प्रस्तुत की गई दर पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
5. उपरोक्त दर्शित मात्रा अनुमानित है, जो कम या अधिक हो सकती है तथा आवश्यकतानुसार समय-समय पर सामग्री क्रयादेश जारी किये जावेंगे।
6. निविदा का लिफाफा निविदा प्रारूप एवं अन्य आवश्यक कागजातों के साथ पूर्णतः मुहरबंद होना चाहिये। खुले लिफाफे स्वीकार नहीं किये जावेंगे। लिफाफा के ऊपर निम्नांकित विवरण लिखें :-

गोबर खाद प्रदाय हेतु मुहरबंद निविदा	
प्रति,	
वनमंडलाधिकारी,	
दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)	
प्रेषक :-

7. निविदा के साथ वाणिज्यिक कर पंजीयन प्रमाण पत्र/आयकर पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त अहर्ता में से किसी भी अहर्ता के न होने पर निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि निविदा 02 लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम लिफाफा जिसका क्र. 01 होगा, इसमें निविदाकार को समस्त अहर्ता हेतु वांछित अभिलेख एवं सत्यंकार की राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय लिफाफा जिसका क्र. 02 होगा, इसमें निविदाकार द्वारा निर्धारित निविदा प्रारूप में प्रस्तावित दर प्रस्तुत की जावेगी। निविदा खुलने के समय सर्वप्रथम लिफाफा क्र. 01 खोला जावेगा, यदि निविदाकार उक्त अहर्ता की पूर्ति नहीं करता है तो लिफाफा क्र.02 नहीं खोला जा कर अस्वीकार कर दी जावेगी।
8. उपरोक्त दर्शित मुहरबंद लिफाफा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रभारी अधिकारी द्वारा दिनांक 25.04.2018 को प्रातः 10.30 बजे से 2.00 दोपहर तक प्राप्त किया जावेगा तथा उनके द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति पत्र जारी किया जावेगा तथा

उसी दिन उपस्थित निविदाकारों के समक्ष सायं 4.00 बजे निविदा खोली जावेगी, निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।

9. निविदा के साथ प्रकाशित सत्यंकार की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में जारी तथा दुर्ग में देय होगा, अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
10. वृक्षारोपण सामग्री की आवश्यक अनुमानित मात्रा वृक्षारोपण स्थल में पहुंचा कर प्रदाय करना होगा।
11. शासकीय विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पिछले 1 वित्तीय वर्ष में सफलता पूर्वक राशि 1 लाख से उपर के गोबर खाद प्रदाय करना अनिवार्य होगा।
12. सामग्री प्रदाय के लिए संस्था का वार्षिक टर्न ओवर 5.00 लाख से अधिक होना अनिवार्य है।
13. सफल निविदाकार को समय-समय पर आवश्यकतानुसार गोबर खाद प्रदाय करने के आदेश पारित किये जावेंगे तथा आदेश पारित होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर सामग्रियाँ प्रदाय अनिवार्यतः किया जाना होगा। यदि प्रदायकर्ता समयावधि में सामग्री प्रदाय नहीं करता है तो करारनामा निरस्त करते हुये प्रतिभूति की राशि अधिहरित की जावेगी। करार अवधि में अन्य प्रदायकर्ता से यदि ऊंची दरों में सामग्रियाँ क्रय की जाती है तो अंतर की राशि की वसूली प्रथम प्रदायकर्ता से भू-राजस्व वसूली की भांति वसूल की जावेगी जिसके लिये प्रदायकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
14. सफल निविदाकार के द्वारा निर्धारित समयावधि (करार अवधि) दिनांक 31.12.2018 के पूर्व सामग्री प्रदाय करने हेतु दिये गये कार्यादेश का पालन करने में असफल होने की स्थिति में उसका यह कृत्य करारनामा के शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा, एवं सत्यंकार राशि अधिहरित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जावेगा।
15. निविदाकार को निविदा प्रारूप के प्रस्तावित दर के अतिरिक्त अन्य प्रकार की लगने वाली राशि यथा जीएसटी तथा अन्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
16. जमा सत्यंकार राशि/सुरक्षा निधि पर ब्याज देय नहीं होगा।
17. छ.ग.शासन, वन विभाग एवं मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने हेतु प्रदायकर्ता बाध्य होगा। किसी भी विवाद हेतु उपरोक्त दर्शित सक्षम अधिकारी का फैसला अंतिम होगा। न्यायालयीन प्रकरण का Jurisdiction दुर्ग जिला न्यायालय होगा।
18. निविदा बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
19. निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ होगा कि निविदाकार को उपरोक्त समस्त शर्तें मान्य एवं बंधनकारी है।

वनमंडलाधिकारी
दुर्ग वनमंडल, दुर्ग (छ.ग.)